HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2407/2026

Savitri W/o Netram, R/o Rundi Ka Pura, Tan Jol, Police Station Todabhim, District Karauli.

----Accused-Petitioner/Applicant

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Non-Petitioner

For Petitioner(s)	:	Mr. Mukesh Kumar Meena
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/02/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 355/2025 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 74, 352, 351(2), 351(3), 329(3) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थीया/अभियुक्ता महिला है। मुख्य अभियुक्त नेतराम तथा मनोज कुमार का जमानत आवेदन संख्या 43/2026 अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–1 हिण्डौनसिटी जिला करौली, आदेश दिनांक 17.01.2026 के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीया/अभियुक्ता पर आहत के मुंह पर मारने का केवल मात्र आरोप है। आहत के मार्मिक अंग पर कोई गंभीर प्रकृति की चोट नहीं है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **सावित्री पत्नी नेतराम** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीया/अभियुक्ता को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थीया/अभियुक्ता पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगी।
2. कि प्रार्थीया/अभियुक्ता इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी।
3. कि प्रार्थीया/अभियुक्ता बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगी।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /153